श्रीलंका द्वारा 'मौत की सजा का सामना कर रहे पाँच भारतीय मछुआरों' की रिहाईः भारत-श्रीलंका संबंधों में एक सकारात्मक कदम

*डॉ.एम.समता**

19 नवम्बर, 2014 को पांच भारतीय मछुआरों की रिहाई का श्रीलंका सरकार का निर्णय एक सकारात्मक कदम है जो श्रीलंका और भारत के बीच बहु-आयामी संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मछुआरों का मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधों में एक अड़चन बन गया है और दोनों सरकारें सतर्क हैं कि यह मसला आपसी सहयोग और विश्वास में बाधा न डाले जो दोनों देशों की आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

तमिलनाडु के पांच मछुआरे नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में वर्ष 2011 में गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें इस वर्ष 30 अक्तूबर को कोलंबो उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। 'संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए' राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे ने उन मछुआरों को रिहा कर दिया। मछुआरों के मुद्दे पर तमिलनाडु में उग्र प्रदर्शन और छुटपुट हिंसा प्रारंभ हो गई थी।

प्रारंभ में, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के खिलाफ श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की और बताया कि तमिलनाडु के मछुआरे दोषी नहीं हैं और वह (विदेश मंत्रालय, भारत) 'उनकी बेगुनाही साबित' करने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाएगा। तथापि, इस मामले की संवेदनशीलता के कारण भारत सरकार ने इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी और मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के सभी मार्ग अपनाए, जिसका (सकारात्मक)

परिणाम निकला। तदनुसार, कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने उच्चतम न्यायालय से इस मामले को वापस ले लिया, जिससे अंततः श्रीलंकाई राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिए जाने का रास्ता निकला।

इस मुद्दे को भारत और श्रीलंका में घरेलू राजनीतिक गतिविधियों और उस बाहरी वातावरण के संदर्भ में देखना होगा, जिसने श्रीलंका की सरकार को परिकलित/उपयुक्त निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्रीलंका की घरेलू राजनैतिक स्थिति आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए गर्मा रही है। ऐसी परिस्थिति में, जब विपक्षी दल राष्ट्रपति राजपक्षे को हराने के लिए एक साझा उम्मीदवार लाने के प्रयास में हैं, सतारुढ़ यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) को विशेषकर उत्तरी प्रांत में चुनाव जीतने के लिए अल्पसंख्यक दलों के समर्थन की आवश्यकता है। यह एकमात्र अल्पसंख्यक बहुल प्रांत है जहां सतारुढ़ यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) का शासन नहीं है। तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) अल्पसंख्यकों के अधिकारों, युद्ध प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण और राजपक्षे सरकार द्वारा तमिल अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का मुद्दा लगातार उठाती रही है। चूंकि यह जातीयता पर आधारित एक भावनात्मक मुद्दा भी है, इसलिए सरकार ने मछुआरों को रिहा करने का बड़ा व्यवहारिक निर्णय लिया क्योंकि अभियोजन/सजा के परिणामस्वरूप सत्तारुढ़ गठबंधन के प्रति और अधिक असंतोष फैलता। यह तथ्य कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी (दल), जेथिका हेला उरुमाया (जेएचयू) ने हाल ही में सरकार के साथ गठबंधन तोड़ दिया, सत्तारुढ़ गठबंधन अपने सहयोगी दलों को साथ बनाए रखने के साथ-साथ नया समर्थन प्राप्त करने के संबंध में सतर्क हो गया है।

विपक्षी दल भी तीसरी बार चुनाव लड़ने की राष्ट्रपति राजपक्षे की इच्छा की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विपक्षी दलों ने श्रीलंका के संविधान के 18वें संशोधन पर चिन्ता जताई है जो राष्ट्रपति को न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र निकायों के सदस्यों को नियुक्त अथवा बर्खास्त करने का अधिकार देता है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चूंकि श्रीलंका में न्यायपालिका सरकार द्वारा नियंत्रित है, इसलिए यह मृत्युदंड तमिल अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने हेतु उठाया गया कदम था।

भारत की नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की श्रीलंका सरकार की इच्छा/तत्परता विभिन्न अवसरों पर स्पष्ट देखने में आई है। इस वर्ष मई में शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लेने के भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार करने के साथ-साथ इस अवसर पर तथा भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'सद्भावना संकेत' के रूप में श्रीलंका की हिरासत से तमिलनाडु के सभी मछुआरों की रिहाई इसके कुछ उदाहरण हैं।

भारत एवं श्रीलंका के विकासात्मक सहयोग और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता ने भी मछुआरों की रिहाई में सकारात्मक कारकों के रुप में काम किया। हाल ही में, भारत ने 29 अक्तूबर को युवा प्रांत में हुए भू-स्खलन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 50 लाख श्रीलंकाई रुपये मूल्य की राहत सामग्री प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई और पीड़ित परिवारों के लिए घरों का निर्माण करने का भी वायदा किया। 80 करोड़ रूपए की रियायती ऋण श्रृंखला के तहत श्रीलंका में उत्तरी रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण हेतु भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता तीस वर्ष लम्बे जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। यह (परियोजना) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जाफना को कोलम्बो से जोड़ने वाले यल देवी एक्सप्रेस (रेलगाड़ी) का उद्घाटन तमिल बहुल उत्तरी प्रांत और कोलम्बो के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत था।

भारत की केन्द्र सरकार तमिलनाडु में हो रही प्रतिक्रियाओं के प्रति भी संवेदनशील थी। सजा सुनाए जाने के फौरन बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ओ. पनीरसेल्वम ने मृत्युदंड की सजा पर सदमा व्यक्त करते हुए कहा, "मछुआरे निर्दोष हैं और उन पर मादक पदार्थों (की तस्करी) का मामला थोपा गया है।" राज्य सरकार ने भी मछुआरों की ओर से कानूनी शुल्क का भुगतान करने के लिए विशेष सहायता (राशि) को मंजूरी दी। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने भी मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु और पुडुचेरी में हो रही हिंसात्मक प्रतिक्रियाएँ और विरोध प्रदर्शन भी भारत सरकार के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय थे। (इस मामले का) एक और पहलू यह है कि श्रीलंका में वर्ष 1976 के बाद से मृत्युदण्ड की सजा नहीं दी गई थी और नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी व्यक्तियों को सुनाई गई सजा जुर्माना/अर्थदण्ड मात्र थी।

इस विशेष मामले में लिए गए निर्णय को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक संयुक्त राष्ट्र की जांच से सहयोग करने हेतु श्रीलंकाई सरकार पर बढ़ता अंतराष्ट्रीय दबाव, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, पश्चिम और यूरोपीय संघ की ओर से पड़ने वाला दबाव था। उपर्युक्त संगठनों द्वारा श्रीलंका की सरकार पर लिबरेशन ऑफ टाइगर्स आफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के साथ युद्ध के अंतिम चरण के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लगाए गए आरोपों का श्रीलंका सरकार बार-बार खंडन करती रही है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र दल द्वारा श्रीलंका से जानकारी एकत्र करने हेतु समय-सीमा बढ़ाने और नवम्बर के प्रारंभ में कुछ प्रांतों से सामग्री/सूचना एकत्र करने में इस दल द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) के प्रमुख ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया, "संयुक्त राष्ट्र, श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र जांच को बदनाम करने के लिए लगातार किए जा रहे दुष्प्रचार की निंदा करता है।" श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने 17 नवम्बर 2014 को एक प्रेसविज्ञप्ति जारी की और मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय (ओएचसीएचआर) द्वारा श्रीलंका में जांच के संबंध में अपनाए जा रहे अकुशल/अव्यावसायिक तरीके पर बेहद असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि (श्रीलंका) नहीं चाहता कि समय-सीमा बढ़ाई जाए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चाहता है।

उपर्युक्त कारणों के अलावा, तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक और सकारात्मक कदम है। भारत और श्रीलंका दोनों ने इस मामले पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार किया और तदनुसार कार्रवाई की। तथापि, भारत और श्रीलंका के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों, विशेषकर भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों से जुड़े ऐसे मामलों से निपटने के लिए इस बात की जरूरत है कि मामला-दर-मामला कार्रवाई से परे जाकर, यदि संभव हो तो एक साझी कानूनी कार्यप्रणाली विकसित की जाए। संवेदनशील मामलों से निपटने में कानूनी प्रक्रियाओं की समझ की कमी भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बन सकती है। दूसरी बात, दोनों पक्षों के मछुआरों को अवैध गतिविधियों (में शामिल होने) के परिणामों के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है और जरूरत है, समुद्री सीमाओं पर अधिक गश्त लगाने की संभावनाएं तलाशने की।

**डॉ.एम.समता विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*